राजस्थान–सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एंव भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर–खण्ड, उदयपुर

क्रमांकः खअ/उदय/बजरी/नीलामी/2021–22/327 दिनांकः 02.02.022

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गोर्वधन विलास स्थित खनिज भवन परिसर में जब्तशुदा खनिज बजरी कुल मात्रा 158.000 मै.टन की नीलामी हेतु सीलबन्द लिफाफे में निविदा दरे आमंत्रित की जाती है।

उक्त जब्तशुदा बजरी स्टॉक मात्रा 158.00 मे.टन की नीलामी में भाग लेने हेतु कार्यालय से नीलामी आवेदन प्रपत्र राशि रू. 200/– (दौ सो रूपये मात्र) का डी.डी. या चालान खनि अभियन्ता, उदयपुर के नाम पर जमा करवा दिनांक 08.02.2022 से 17.02.2022 तक कार्यालय समय में कमरा नम्बर 144 में प्राप्त किया जा सकेगा। सीलबन्द निलामी आवेदन पत्र में अपनी दरे अंकित कर दिनांक 17.02.2022 को मध्यान पश्चात् दो बजे तक कार्यालय में जमा कराये जा सकेंगे। प्राप्त निविदाएं उसी दिन सांय 4:00 बजे गठित कमेटी के समक्ष खोली जावेगी। सीलबन्द निविदा के साथ राशि रू. 2000/– का बैंक ड्राफ्ट खनि अभियन्ता, उदयपुर के पक्ष में धरोहर राशि के लिए संलग्न करना होगा।

निविदा की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर कभी भी देखी जा सकती है एंव नीलामी की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

क.स.	निलामी हेतु उपलब्ध बजरी जहां पडी हुई है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनो में)	बयाना/अनुमानित राशि	न्यूनतम बोली राशि
1	खनिज भवन, गोर्वधन विलास परिसर, उदयपुर	158.00	2000/–	618/प्रति टन (देय कर अतिरिक्त)

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेगी :–

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से क्षेत्र का नाम जहां बजरी पडी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाऐं कार्यालय खनि अभियन्ता, उदयपुर खनिज भवन, गोर्वधन विलास, उदयपुर के कमरा नं. 144 पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 17.02.2022 (सायंकाल 2.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानता राषि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता, उदयपुर के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यो के विरूद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नही है।

Scanned with CamScanner

4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एंव मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में मौके पर जाकर की जा सकती है।
5. जब्तशुदा बजरी मौके पर जैसी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदाऐं कमेटी द्वारा दिनांक 17.02.2022 को सायंकाल 4:00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कार्यालय के कमरा न. 144 में खोली जावेगी। आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा राशि जमा होने की तिथी से नियम समयावधि में समस्त बजरी उठानी होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एंव मुख्त्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की प्रति साथ लाना होगा।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. उच्चतम निविदादाता को बोली राशि के अलावा देय कर GST/आयरकर आदि अतिरिक्त जमा कराना होगा।
11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंधि में यदि कोई उज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार नीलामी हेतु गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता, उदयपुर द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृत प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के खनिज बजरी निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
13. सफलतम बोलीदाता को परिवहन हेतु अवधि 3 दिवस सहित अधिकतम 7 दिवस ही अनुमत होगा।
14. 158.00 मै.टन से कम मात्रा में स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तद्नुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
15. तुलाई के बाद वाहनो के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक का बैलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एंव अधीक्षण खनि अभियन्ता (सर्तकता) को व्हाट्स एप पर भेजने के पश्चात् ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
16. विभागीय कार्मिको द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनो की फोटो एंव कम्प्यूटीकृत/अधीकृत तुलायंत्र की वनज पर्ची क्षेत्र के संबंधित उपर अंकित को व्हाट्स एप पर भेजने के पश्चात् ही वाहनो को रवाना किया जा सकेगा।
17. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।

Scanned with CamScanner

18. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो वाहनो की तोल पर्चियां एंव भरे हुए वाहन की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
19. स्टॉक को नियत समय में ही नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
20. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनो के पंजीयन की प्रति एंव वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनो से अनुमत नहीं होगा।
21. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्यूअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
22. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनो को प्राथमिकता दी जावेगी।
23. खनिज बजरी नीलामी को स्वीकृत/अस्वीकृत व निरस्त करने का अन्तिम अधिकार कमेटी के पास रहेगा जो सभी को मान्य होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

(चन्दन कुमार)
खनि अभियन्ता,
उदयपुर।

क्रमांकः खअ/उदय/बजरी/नीलामी/2021–22/ 328-333 दिनांकः 9-2-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी डीएमजी ओएमएमस, निदेशालय, खान एव भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, उदयपुर।
4. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान) खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर–जोन, उदयपुर।
5. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर–वृत, उदयपुर।
6. खनि अभियन्ता, (सतर्कता), उदयपुर।

(चन्दन कुमार)
खनि अभियन्ता,
उदयपुर।

Scanned with CamScanner

समाचार–पत्र में प्रकाशन हेतु

राजस्थान–सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एंव भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर–खण्ड, उदयपुर

क्रमांकः खअ/उदय/बजरी/नीलामी/2021–22/326 दिनांकः 2.2.2022

नीलामी सूचना प्रकाशन–02/2021–22

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गोर्वधन विलास स्थित खनिज भवन परिसर में जब्तशुदा बजरी कुल मात्रा 158.00 मे.टन की नीलामी हेतु सीलबन्द लिफाफे में निविदा दरे आमंत्रित की जाती है।

उक्त जब्तशुदा बजरी स्टॉक मात्रा 158.00 मे.टन की नीलामी में भाग लेने हेतु कार्यालय से नीलामी आवेदन प्रपत्र राशि रू. 200/– (दौ सो रूपये मात्र) का डी.डी. या चालान खनि अभियन्ता, उदयपुर के नाम पर जमा करवा दिनांक 08.02.2022 से 17.02.2022 तक कार्यालय समय में कमरा नम्बर 144 में प्राप्त किया जा सकेगा। सीलबन्द नीलामी आवेदन पत्र में अपनी दरे अंकित कर दिनांक 17.02.2022 को मध्यान पश्चात् दो बजे तक कार्यालय में जमा कराये जा सकेंगे। प्राप्त निविदाएं उसी दिन सांय 4:00 बजे गठित कमेटी के समक्ष खोली जावेगी। सीलबन्द निविदा के साथ राशि रू. 2000/– का बैंक ड्राफ्ट खनि अभियन्ता, उदयपुर के पक्ष में धरोहर राशि के लिए संलग्न करना होगा।

निविदा की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर कभी भी देखी जा सकती है एंव नीलामी की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

क.स.	निलामी हेतु उपलब्ध बजरी जहां पडी हुई है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनो में)	बयाना/अनुमानित राशि	न्यूनतम बोली राशि
1	खनिज भवन, गोर्वधन विलास परिसर, उदयपुर	158.00	2000/–	618/– प्रति टन (देय कर अतिरिक्त)

निविदा की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर कभी भी देखी जा सकती है एंव नीलामी की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

(चन्दन कुमार)
खनि अभियन्ता,
उदयपुर

Scanned with CamScanner